3/6/15

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांकः

01/06/2015

DVN 3445

संख्या आरटीआई/6547/2015-पीएमआर

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री रोशन के बडोले से प्राप्त दिनांक 22.5.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस 06/2015 कार्यालय में दिनांक 26.5.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

Falad

(बी.के. रॉय) अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

USCRTI

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री रोशन के बडोले मु.बौध्दनगर, पो.ता सड़क अर्जुनी, जिला,गोंदिया महाराष्ट्र -441 807 कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय के संबंध में सूचना कालान्तर में दे दी जाएगी।

- Protocol
- Concerned Divs. (territoral)

8

Mak

परिशिष्ट अ ीयम ३ देखे)

सुचना का अधिकार अधिनिया २००५ अन्वये सुचना का अधिकार मिलने हेतू नावदेक पत्र का प्रारुप

प्रती.

मा.सहायक डेप्टी सेकेटरी प्रधानमंत्री कार्यालय,

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का पुर्ण पत्ता

आवश्यक सुचना का अधिकार का ब्यौर

अ) सुचना अधिकार प्राप्ती का विव

ब) सुचना अधिकार की कालावधी

नई दिल्ली -01

: रोशन खुशाल बडोले

ः मु.बौध्दनगर पो.ता. सडक/अर्जुनी, जि. गोंदिया

2 6 MAY 2015

: अब तक प्रधानमंत्री श्री.नरेद्रभाई दामोदर मोदी की विदेश यात्रा की जानकारी मिलने हेतू

: प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा (दौरा) के बारे में जानकारी एवं यात्री के आया भारत सरकार के खजाने से खर्च विशेष जानकारी मिलने हेतू

: जून 2014 से 21 मे 2015 तक कि जानकारी

क) सुचना अधिकार का ब्यौरा जो ह

1) जुन 2014 से आज विश्वान मंत्री नरेंद्र भाई दामोदर मोदी ने किस किस देशों की विदेश यात्रा की, और कब कब और लोग या मंत्री या सहायक कौन कौन थें ! ईसकी पुरी जानकारी या ब्यौरा हेतू सत्य जानकारी विशेष

तिलीपी मिलने हेतू.

उपरोक्त यात्राओव विदेशों का प्रवास खर्च पंतप्रधान एवं अन्य के दवारा भारत संप्रकार के खजाने से कितना कित- ें। किस देशा में खर्च आया ईसकी पुरी जानकारी की सत्य

कौन कौन देशों में कौन करार एवं सम झौता किया गया ईसकी पुरी जानकारी मिलने

ड) सुचना अधिकार डाग व्दारा आवर सुचित करें शीर्घ सुचना अधिकार का किया कित करें

आवेदक गरीबी रेखा के निचे है 🙉 👚

उपरोक्त सुचना का अधि निवेदक करता हु.

ठिकाण :- बौध्दनगर

दिनांक :- 22/5/2015-

: डाग व्दारा सुचित करें या शीर्घ

: हॉ . (सन 2002 के गरीबी रेखा की झेराक्स सत्य प्रतिलीपी लगाई हैं

..नकारी डाग व्दरा शिर्घ ता शीर्घ भेजने का प्रारुप करें यही

सहपत्र :-पोस्टल आर्डर 10 रु , नंबर - 0 9 F .054292 IPONO 09F 05429292 Relay

(रोशन के बडोले)

कार्यालय ग्रा.पं. प्रिट्ट्निक प्रि. ...

दिनांक 30/92/08

दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचे क्ष प्रमाणपत्र क्ष

प्रमाणित करण्यात येते की,

च्या दारिद्रय रेषेखालील यादीत कुटूंब प्रमुख भी - देशिन विद्यालि कियोदी चे नावाने दा.रे. खालील क्रमांक -- १६०---- असून उत्पन्न रू. - २५४ - १६ आहे. हे उपरोक्त कुटुंबाचे सदस्य आहेत.

सबब प्रमाणपत्र वेण्यात येते.

(उच्चकेनी) पंचायतं समिती सः/अर्जुनी

S/551/24/2015 विदेश मंत्रालय (दक्षिणी प्रभाग) ***

> जवाहरलाल नेहरु भवन, नई दिल्ली दिनांक: 23 मार्च 2016

सेवा में,

श्री रोशन खुशाल बड़ोले मु. बोधनगर, पो. ता सड़क अर्जुनी, जिला, गोंदिया महाराष्ट्र- 441807

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र क्रमांक - आरटीआई/65472015-पीएमआर दिनांक 26.05.2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई विदेश यात्राओ एवं आर्थिक सहायता के बारे में जानकारी मांगी थी।

- आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के विषय में, ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि:
- (अ) क्रमांक (1) प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी-20 लीडर शिखर सम्मेलन (ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 नवम्बर, 2014) में भाग लेने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के द्वि-पक्षीय आधिकारिक यात्रा पर (16-18 नवम्बर, 2014) गए थे।) प्रधान मंत्री की इस यात्रा के लिए दक्षिणी प्रभाग, विदेश मंत्रालय से निमंलिखित अधिकारी ऑस्ट्रेलिया गए: श्री अनिल वाधवा, सचिव (पूर्व); श्री संजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव(दक्षिण); श्री मोहम्मद मोनिरुज्जुमान, उपसचिव (दक्षिण) और श्री रामबाबू सी, अवर सचिव (प्रशिद्ध अधिकारी)।
- (स) क्रमांक (3) इस यात्रा (16-18 नवम्बर, 2014) के दौरान जिन समझोतो/ समझोता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, वे विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वैबसाइट www.mea.gov.in/index-hi.htm के 'प्रलेख' भाग के 'दविपश्रीय / बहुपक्षीय प्रलेख' भाग में पाये जा सकते है।
- यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19
 के तहत इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निमंलिखित प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते है।

श्रीमान पीयूष श्रीवास्तव संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी विदेश मंत्रालय, कमरा संख्या 3005

जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली- 110011

दूरभाष : 49015229, ईमेल- dirsouth@mea.gov.in

(पूजा वी वेर्णेकर)

अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी दूरभाष -49015241, ईमेल- usic@mea.gov.in

प्रतिलिपि:-

- 1. संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
- अवर सचिव, आर॰ टी॰ आई॰, विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
- 3. अवर सचिव (DD)